

:: मूल वाद में डिक्री ::  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-109/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-92क-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री छोगा पिता हजारी गूजर, उम्र बालिग निवासी पारलिया खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान) -----वादी

बनाम

1-श्री हरदेव पिता लालू गूजर, उम्र बालिग निवासी पारलिया खेड़ा तहसील व जिला  
भीलवाड़ा मृतक के कायम मुकाम:-

1/1-भोला पिता हरदेव गूजर, उम्र बालिग निवासी पारलिया खेड़ा तहसील भीलवाड़ा

1/2-भोजराज पिता हरदेव गूजर, उम्र बालिग निवासी पारलिया खेड़ा तहसील भीलवाड़ा

1/3-मोहन पिता हरदेव गूजर, उम्र बालिग निवासी पारलिया खेड़ा तहसील भीलवाड़ा

1/4-श्रीमति अलोल पत्नि हरदेव गूजर, उम्र बालिग निवासी पारलियाखेड़ा तह. भीलवाड़ा  
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

3-उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान) -----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या  
/1 से 1/4 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज  
दिनांक 18.5.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया  
जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत  
परियों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से  
आज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध  
प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पारलिया खेड़ा पटवार हल्का  
महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 438, 598/438,  
9/438 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया  
कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी  
आधार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 का नाम  
विलोपित किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)

आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 18.5.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा